

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मुंज 61/14 तारीख रजू 10-11-14

उजवान - हरिमोहन बनाम सुआलाल

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओरसे श्री सुरेश चन्द शर्मा भव. ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की एक तरफ बटस सुनी गयी। प्रथम हुआ या मायला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः जरिमे अन्तरेम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आगामी सुनवाई तक ग्रामपहाड़ी की शूमि ख. नं०  $\frac{1824}{0.52}$ ,  $\frac{1825}{0.07}$ ,  $\frac{1827}{0.46}$ ,  $\frac{1830}{0.37}$ ,  $\frac{2625}{0.22}$ ,  $\frac{2631}{0.54}$  हे० हिस्से की शूमि की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये रजि० भव. के द्वारा सम्मन जारी कर तलब कर दिनांक 18-12-14 को पेश हो।

2780-82  
12-11-14

उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)

मान्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभी

दिनांक	फर्द अहकाम
25 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी अमण पर पत्र है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 29-2-16 को पेश हो।</p>
29.2.16	<p>अर्धी व कील उप। कलस सुमी गई। अर्धी पत्र 19 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दिनांक 10/11/14 को जारी अंतरिम अर्थात् निवेदाज्ञा को तादावा फंसला कर्फर कोस का कपन रिफ। अर्धी की ओर से जातो कोड उपस्थित हैं नहि कोड जरूर पेश रिफ। पत्रावली का अर्थात् रिफ। अंतरिम अर्थात् निवेदाज्ञा को जारी की गई अंतरिम अर्थात् निवेदाज्ञा को तादावा फंसला कर्फर रिफ जागरी तथा गुम पहाड़ी की श्रम ख. नं. 1824, 1825, 1827, 1830, 2625, 2631 कुल मिला 6 कुल श्रम 2.18 हैं। मे रिस्ता 1/4 के किड एवं मीचे की फ्यालिती कोष रहे। रतन एवं नपय नहीं रिफ जोष। पत्रावली फंसला श्रमपु लोक जागरी से कम लोक दावा पत्रावली की साथ संलग्न रहे।</p>